

## बालिका शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (An Analytical Study of factors affecting of Girls Education)

लक्ष्मी मिश्रा

शोध छात्रा

शिक्षा संकाय

आईएफटीएम विश्वविद्यालय, मुरादाबाद (उ.प.) भारत

Email : lmishraiftmu0918@gmail.com

डॉ. मोहन लाल 'आर्य'

सह प्राध्यापक

शिक्षा संकाय

आईएफटीएम विश्वविद्यालय, मुरादाबाद (उ.प्र.) भारत

Email : drmlarya2012@gmail.com

### सारसंक्षेप (Abstract)

उच्च शिक्षा स्तर पर रीति-रिवाज सम्बन्धी समस्याओं में बाल विवाह की समस्या, नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण से सम्बन्धित समस्या, गृहकार्य का अत्यधिक भार, विवाह में समस्या, शिक्षण संस्थाओं सम्बन्धी समस्याओं में महाविद्यालय की घर से अधिक दूरी, महाविद्यालयों में महिला प्राध्यापक की कमी, मनपसंद विषय की अनुपलब्धता, बालक-बालिकाओं के साथ पढ़ने में समस्या, आवश्यक संसाधनों का अभाव, आर्थिक समस्याओं में सीमित आय के स्रोत, छात्रावासों का बढ़ता शुल्क, यातायात पर होने वाला व्यय, पर्याप्त छात्रवृत्ति प्राप्त न होना, मनोवैज्ञानिक समस्याओं में छींटाकशी व दुर्व्यवहार, अभिभावकों का संकुचित दृष्टिकोण, सामंजस्य स्थापित करने में समस्या, आत्मविश्वास की कमी, जनांकिकीय समस्याओं में परिवार का बड़ा आकार, परिवार में बालिकाओं की अधिक संख्या, संयुक्त पारिवारिक संरचना की समस्या पर शहरी व ग्रामीण बालिकाओं द्वारा सहमति में अन्तर था जो यह स्पष्ट करता है कि शहरी व ग्रामीण बालिकाओं का इन समस्याओं पर दृष्टिकोण भिन्न भिन्न प्राप्त हुआ। वहीं दहजे प्रथा की समस्या, पर्दा प्रथा की समस्या, विवाह योग्य आयु निकल जाने की समस्या, महिला छात्रावासों की कमी, शिक्षकों का उपेक्षित व्यवहार, जागरूकता का अभाव, पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, खराब आर्थिक स्थिति, उच्च शिक्षा पर होने वाला व्यय, बढ़ती महंगाई, महंगी पाठ्यपुस्तकें, परीक्षा में अच्छे अंक लाने का दबाव, भावात्मक सहयोग की प्राप्ति न होना, पास-पड़ा से का दूषित वातावरण, रूढ़िवादी ग्रामीण परिवेश की समस्या पर शहरी व ग्रामीण बालिकाओं का इन समस्याओं पर दृष्टिकोण समान प्राप्त हुआ।

**मुख्यशब्द (Keywords):** बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा, रीति-रिवाज, सामाजिक दृष्टिकोण।

### १ प्रस्तावना:

किसी भी राष्ट्र के विकास में उसके क्षेत्र में निवास कर रहे मानव संसाधनों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि विश्व में विभिन्न युगों में निर्मित होने वाली गौरवशाली विश्व सभ्यताओं के निर्माण और विकास का श्रेय मानव को ही जाता है इस प्रकार जिस राष्ट्र का मानव संसाधन जितना अधिक शिक्षित एवं बुद्धिजीवी होगा, वह राष्ट्र उतना ही अधिक प्रगतिशील तथा विकसित होगा शर्मा (2004)। शिक्षा किसी भी देश के समाजिक एवं आर्थिक विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। यह एक ऐसा सशक्त साधन है जिसके माध्यम से मानव-समाज में चेतना जागृत कर उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सकती है व विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। मानव समाज के अपेक्षित विकासक्रम में शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है, जिसके माध्यम से गरीबी उन्मूलन, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सहयोग, परम्परावादी रूढ़ियों व रीतियों का परिमार्जन कर समाज में वैज्ञानिक परिवेश का सृजन, जनसंख्या के मात्रात्मक आकार में अपेक्षित परिवर्तन, देश-प्रमे व राष्ट्रीयता की भावना का विकास तथा मानवीय संसाधन में उच्चतर मानवीय मूल्यों का प्रतिस्थापन सरलतापूर्वक हो जाता है। शिक्षा के बिना कोई भी राष्ट्र उच्चस्तरीय पूर्ण विकसित जनसमूह का पर्याय नहीं बन सकता है। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान-कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है।

शिक्षा चाहे देशी हो या विदेशी, भारतीय हो या अंग्रेजी, मानव जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया है जो व्यक्ति को पशुता से उठाकर मानव बनाने असुंदरता से सुंदरता, अकल्याण से कल्याण, असत्य से सत्य की ओर ले जाने की प्रेरणा तथा क्षमता प्रदान करती है। शैक्षिक जीवन का प्रत्येक क्षण, उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति, समस्त योजनायें, विधियाँ व व्यवस्थायें एक ही लक्ष्य की ओर उन्मुख करती हैं जिसे कहा जा सकता है –“व्यक्तित्व का विकास जीवन का ऊँचा उठाना” सिंघल (1979)।

शिक्षा प्रकाश का ऐसा जीवन्त स्रोत है जो व्यक्ति को सुखमय जीवन प्रदान करने के निमित्त सच्चा मार्ग प्रदान करती है, उसमें मनुष्यता के भाव जागृत कर उसके जीवन को दिव्य से दिव्यतर बनाती है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति पशुवत प्रवृत्ति से ऊपर उठते हुए मानव बनता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन तो समस्त प्राणीमात्र में व्याप्त होते हैं। इससे परे शिक्षा व्यक्ति को विवेक रूपी एक दुर्लभ गुण प्रदान करती है जिसके आधार पर व्यक्ति श्रेष्ठता प्राप्त करता है और मनुष्य बनने की दिशा में प्रवृत्त होता है। “शिक्षा की महत्ता पर विचार करते हुए प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने कहा “संसार में सबसे श्रेष्ठ और सुन्दर कोई वस्तु यदि है तो वह है शिक्षा”। जानें लाकें के मतानुसार “व्यक्तियों के विकास के लिए शिक्षा वैसे ही आवश्यक है, जैसे पौधों के विकास के लिए खाद पानी” सिंह (2004)।

स्वामी दयानन्द जी ने भी कहा था कि “राष्ट्र समाज, प्रशासन तथा परिवार के क्रियाकलाप तब तक उचित ढंग से नहीं किये जा सकते जब तक स्त्रियों को शिक्षा न मिले” मनोहर (1987)। विश्वविद्यालय शिक्षा आयागे के अनुसार – “शिक्षित स्त्री समाज के बिना शिक्षित जनगण का अस्तित्व सम्भव नहीं है, अगर सामान्य शिक्षा केवल पुरुषों अथवा स्त्रियों को देनी पड़े तो इसका अवसर स्त्रियों को ही दिया जाना चाहिए, कारण कि तब उसका अगली पीढ़ी को हस्तान्तरण सबसे अधिक होगा” कमीशन रिपोर्ट 1948-49। श्रीमती हंसा मेहता समिति 1962 का कथन है – “यदि नये समाज का निर्माण ठोस आधार पर करना है तो स्त्रियों को वास्तविक और प्रभावपूर्ण ढंग से पुरुषों के समान अवसर देने होंगे” उपर्युक्त उद्धाहरण बड़े सटीक ढंग से स्त्री शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हैं जो किसी राष्ट्र की भावी प्रगति की कुंजी होती है। “वास्तव में लड़कें की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है, किन्तु एक लड़की की शिक्षा सारे परिवार की शिक्षा है” यह सिद्ध करता है कि समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया पर स्त्री शिक्षा का गहरा प्रभाव होता है।

शिक्षा किसी व्यक्ति की क्षमताओं को साकार करने की प्रक्रिया होती है जो समाज के सामने उसकी स्वाभाविक योग्यताओं और रुचियों को उभारती है। किसी भी राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में स्त्री शिक्षा की बहुमुखी भूमिका होती है। शिक्षा से स्त्रियों में कौशलों का विकास होता है। वृत्तिक एवं तकनीकी व्यवसायों में रोजगार की निरन्तरता बढ़ती है एवं जीवन की गुणवत्ता सुधरती है।

किसी भी राष्ट्र के विकास का मूलाधार शिक्षा है, राष्ट्र के व्यक्तियों के मानसिक क्षितिज को विस्तार देकर उन्हें कार्यक्षेत्र में सक्षम बनाना शिक्षा का कार्य है। शिक्षा मनुष्य में मात्र जीविकोपार्जन की दक्षता का ही विकास नहीं करती, अपितु उनमें शाश्वत मूल्यों का विकास भी करती है। सम्भवतः इसीलिए प्रत्येक देश अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक अस्मिता को बनाये रखने हेतु अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली का विकास करता है। शिक्षा प्रणाली की सफलता उसके नागरिकों की सुयोग्यता से पता चलती है और यह सुयोग्यता उच्च शिक्षा द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। बालिकायें जिन्हें आधी आबादी भी कहा जाता है, यदि उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है तो समग्र राष्ट्रीय विकास की कल्पना करना भी बेमानी हो जाता है। बालिकायें ही कालान्तर में महिलाओं की भूमिका निभाती हैं। इनकी भी राष्ट्रीय उत्थान में साझेदारी अदा करने की आकांक्षा होती है। अगर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की सशक्त उल्लेखनीय भागीदारी के स्वप्न को साकार बनाना है तो बालिका उच्च शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना ही होगा। यद्यपि प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अनेक योजनायें चलायी जा रही हैं तथापि आज भी शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी कम ही है। विभिन्न सरकारी प्रयासों के बावजूद बालिका शिक्षा का क्षेत्र बाधामुक्त नहीं हो सका है।

## २ शोध समस्या का उद्भव व विकास:

कुछ पारम्परिक मान्यतायें, धार्मिक बाध्यतायें तथा सांस्कृतिक पहलू ऐसे हैं जो समाज को भविष्य देखने से रोकते हैं। उन्हीं में से एक है लिंग-भेद। हमारे समाज में लड़कियों की शिक्षा पर आज भी उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि लड़कों की शिक्षा पर। हमारी सामाजिक व्यवस्था व परम्पराओं ने जन्म से ही लड़के व लड़की में भेद किया है। इसी कारण से लड़के-लड़कियों के पालन-पोषण, रहन-सहन, शिक्षा-दीक्षा व चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में अधिकाधिक विभेद पाया जाता है। लड़के को जहाँ कुल दीपक, पारिवारिक समृद्धि, यश व प्रतिष्ठा का प्रतीक समझा जाता है वहीं लड़की को पराई सम्पत्ति व दहेज आदि कारणों से बोझ व अभिशाप माना जाता है। देश की स्वतन्त्रता के 71 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी बालिका-शिक्षा में कोई विशेष उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी कारण से भारतीय सामाजिक स्वरूप व चेतना में जो अपेक्षित परिवर्तन होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। मानवीय संसाधन का पूर्ण विकास, बच्चों के चरित्र निर्माण एवं देश के चहुँमुखी विकास के लिए बालिका-शिक्षा बालकों की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण व उपयोगी है। शिक्षा के द्वारा ही स्त्री पूरे परिवार को स्वर्ग बनाती है। इसी आधार पर बालिका शिक्षा को विकास का आधार स्तम्भ माना गया है। अतः बालिका शिक्षा के अधिकाधिक अवसरों का सृजन एक अनिवार्य कदम माना गया है क्योंकि सुसंस्कृत एवं पूर्ण समाज की रचना शिक्षित बालिकाओं या महिलाओं से ही संभव है।

## ३ शोध अध्ययन की आवश्यकता:

देश को स्वतन्त्र हुए आज 71 वर्ष बीत चुके हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार व सुख-सुविधायें प्रदान की गयीं जिससे उनके जीवन-स्तर को

ऊँचा उठाया जा सकें। भारत का संविधान केवल नियमों व कानूनों का संकलन मात्र नहीं है अपितु उसमें राष्ट्र की आत्मा के दर्शन भी होते हैं। किसी भी लोकतंत्रीय राष्ट्र की प्रगति के लिए विशेष उपबंध किये जाये जो समाज से प्राप्त होने वाली प्रतिष्ठा से वंचित हैं तथा सामाजिक मुख्यधारा से बाहर हैं। लोकतांत्रिक समता का सिद्धहस्त तभी कारगर हो सकता है जब सम्पूर्ण राष्ट्र सभी स्तरों पर एक समान हो, लेकिन भारतवर्ष में आज भी समाज की प्रवृत्ति पुरुष प्रधान है जिसके कारण आज भी महिलाओं को समाज में समान प्रस्थिति प्राप्त नहीं है। इसका मुख्य कारण बालिकाओं को शिक्षा प्रदान न करना है। लेकिन बालिका शिक्षा का समाज में अत्यधिक महत्व है क्योंकि एक बालिका की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है। शिक्षित बालिका ही सभ्य एवं सुसंस्कृत परिवार की आधारशिला है। भारतीय संस्कृति में बालिका को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उनको आदर की दृष्टि से देखा जाता था।

वैदिक व औपनिवेशिक युग में भी महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। इसका उदाहरण मैत्रेयी, गार्गी जैसी विदुषी महिलाओं से मिलता है जिन्होंने ऋषियों का स्थान ले लिया था लेकिन परतंत्रता के कारण देश में एक ऐसा समय आया जब पुरोहितों ने अन्य जातियों के साथ-साथ बालिकाओं को भी अधिकारों से वंचित कर दिया। पिछली कई सदियों से भारत की राजनैतिक और सामाजिक स्थिति के कारण बालिकाओं की दशा और अधिक दयनीय होती चली गयी। भारत के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह विदित होता है कि इस स्थिति का मुख्य कारण बालिका शिक्षा के प्रति उदासीनता है।

बालिका शिक्षा का पिछड़ा पन भारतीय पुरुष प्रधान समाज की देन है। लेकिन वर्तमान समय में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बालिका शिक्षा की उन्नति हेतु पर्याप्त प्रयास किये जा रहे हैं। परन्तु यदि भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर दृष्टिपात किया जाये तो दृष्टिगत होता है कि भारतीय समाज में आज भी बालकों को बालिकाओं की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। बालक और बालिकाओं में भेद भाव हमारे समाज की नस-नस में विद्यमान है। लिंग आधारित असमानता का यह विचार इतना गहरा है कि जब हम शिक्षा के प्रति माता-पिता के दृष्टिकोण की बात उठाते हैं तो ऐसी स्थिति में लड़के-लड़की के बारे में एक ही तरह से बात करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यूनिस्फे रिपोर्ट (2004)।

## ४ शोध समस्या कथन:

“बालिका शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन”

शोध अध्ययन में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण:-

**बालिका शिक्षा:-**

देश का विकास उसके सुशिक्षित नागरिकों पर निर्भर करता है और नागरिकों का विकास परिवार पर निर्भर करता है एवं परिवार का विकास उसमें निवास करने वाली बालिकाओं पर निर्भर करता है। अतः राष्ट्र के विकास हेतु बालिकाओं का शिक्षित होना अत्यन्त आवश्यक है। इस अध्ययन में बालिका शिक्षा से तात्पर्य उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत व 10वीं के पश्चात् पढ़ाई छोड़ने वाली बालिकाओं की शिक्षा से है।

**प्रभावित करने वाले कारक:-**

समाज एक व्यवस्था है। एक व्यवस्था के रूप में समाज का एक ढाँचा ही नहीं होता बल्कि इसमें संगठन भी पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक संगठन सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है और चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः स्वयं उसके लिए आवश्यक है कि समाज का ढाँचा व संगठन सुदृढ़ रूप में विद्यमान रहें। सामाजिक संगठन सुदृढ़ तभी होता है जब समाज में भिन्न भिन्न योग्यता और कौशलों को धारण करने वाले व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुरूप पदों पर रहकर कार्य करें और अपने पद से सम्बन्धित उन दायित्वों को पूरा करें जिनकी अपेक्षा समाज उनसे करता है। इस प्रकार समाज में प्रत्येक व्यक्तित्व एवं समुदाय की एक प्रस्थिति व भूमिका अवश्य होती है। कुछ व्यक्ति या समुदाय के व्यक्ति समाज में उच्च पदों पर आसीन होते हैं जबकि कुछ को उनकी तुलना में निम्न पृस्थिति प्राप्त होती है।

सामान्य रूप में सामाजिक-आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक ओर तो मासिक या वार्षिक आय को आधार बनाया जाता है वहीं दूसरी ओर पद या व्यवसाय को भी आधार माना जाता है इसके अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक स्थिति का अनुमान व्यक्ति के रहन-सहन, आवास और उसके द्वारा एकत्रित सुख-सुविधाओं से भी लगाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे तत्व अथवा कारक जो व्यक्ति के सामाजिक-आर्थिक स्तर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सामाजिक-आर्थिक कारक कहलाते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में बालिका शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों में जनांकिकीय कारक, अभिवृत्ति, सामाजिक अभिप्रेरणा, सामाजिक-आर्थिक कारक, अभिभावकों की शिक्षा, अभिभावकों का व्यवसाय, पारिवारिक संरचना का अध्ययन किया जायेगा।

## ५ शोध अध्ययन के उद्देश्य:-

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं –

1. बालिकाओं की उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में रीति-रिवाज सम्बन्धी समस्याओं पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की बालिकाओं के विचार के संदर्भ में अध्ययन करना।
2. बालिकाओं की उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षण संस्थाओं सम्बन्धी समस्याओं पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की बालिकाओं के विचार के संदर्भ में अध्ययन करना।

#### ६ शोध अध्ययन की परिकल्पनायें:-

अनुसंधान समस्या चयन के उपरान्त परिकल्पनाओं के निर्धारण का क्रम आता है टाउन्सलैण्ड (कपिल, 2004) ने लिखा है –“परिकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है, क्योंकि अनुसंधान का प्रारम्भ किसी न किसी समस्या से होता है। प्रस्तुत अध्ययन शून्य परिकल्पनाओं पर आधारित है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाओं का निर्धारण किया जायेगा –

1. बालिकाओं की उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में रीति-रिवाज सम्बन्धी समस्याओं पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की बालिकाओं के विचार के संदर्भ में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. बालिकाओं की उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षण संस्थाओं सम्बन्धी समस्याओं पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की बालिकाओं के विचार के संदर्भ में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

#### ७ शोध अध्ययन विधि:-

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि को आधार माना गया है। करलिंगर, 1969 ने सर्वेक्षण विधि को परिभाषित करते हुए कहा है कि –“सर्वेक्षण अनुसंधान सामाजिक वैज्ञानिक अन्वेषण की वह शाखा है जिसके अन्तर्गत व्यापक तथा कम आकार वाली जनसंख्याओं अथवा समष्टियों का अध्ययन उनमें से चयनित प्रतिदर्शों के आधार पर इस आशय से किया जाता है ताकि उनमें व्याप्त सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चरों के घटनाक्रमों, वितरणों तथा पारस्परिक अन्तःसम्बन्धों का ज्ञान उपलब्ध हो सके। प्रस्तावित शोध समस्या के समाधान हेतु आंकड़ों का एकत्रीकरण करने हेतु विवरणात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जायेगा।

#### ८ शोध अध्ययन की जनसंख्या:-

प्रस्तुत शोध अध्ययन बालिका शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में अध्ययन करने से सम्बन्धित है इस परिप्रेक्ष्य में मुरादाबाद जिले में उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत एवं 10+2 के पश्चात् उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश न लेने वाली एवं प्रवेश लेने के बाद बीच में ही अध्ययन छोड़ देने वाली बालिकाओं व उनके अभिभावकों को अध्ययन की जनसंख्या के रूप में निरूपित किया गया है।

#### ९ शोध अध्ययन उपकरण:-

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए निम्न उपकरणों का निर्माण किया गया है-

1. बालिका उच्च माध्यमिक शिक्षा समस्या अनुसूची।
2. बालिका उच्च माध्यमिक शिक्षा अभिवृत्ति मापनी।
3. बालिका उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रति अभिभावकीय अभिवृत्ति मापनी।
4. बालिका उच्च माध्यमिक शिक्षा सामाजिक अभिप्रेरणा मापनी।

#### १० शोध अध्ययन हेतु प्रयुक्त सांख्यिकी:-

प्रस्तुत शोध अध्ययन न से निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु विभिन्न सांख्यिकीय प्रविधियों द्वारा विश्लेषण किया जायेगा। प्रस्तावित शोध कार्य हेतु प्रतिशत, मध्यमान, मानक विचलन तथा टी. परीक्षण का प्रयोग सांख्यिकीय कार्य हेतु किया जायेगा।

#### ११ शोध अध्ययन की परिसीमायें:-

प्रस्तुत शोध अध्ययन की निम्नलिखित सीमायें निर्धारित की है –

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु मुरादाबाद जनपद के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत बालिकाओं तथा उनके अभिभावकों का ही चयन किया जायेगा।
2. प्रस्तुत शोध अध्ययन में 300 अध्ययनरत बालिकाओं तथा उनके अभिभावकों को चयनित किया जायेगा।
3. प्रस्तुत शोध अध्ययन में बहुस्तरीकृत –यादृच्छिक न्यादर्श विधि का प्रयोग प्रतिदर्श चयन हेतु किया जायेगा।

4. प्रस्तुत शोध अध्ययन में सामाजिक अभिप्रेरणा व उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रति बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति का ही अध्ययन किया जायेगा।

### १२ आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या:—

शोध अध्ययन के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्राप्त आंकड़ों को ग्रामीण एवं शहरी परिवेश, अध्ययनरत एवं अध्ययनबाधित बालिकाओं, उच्च, निम्न एवं मध्य आय वर्ग की बालिकाओं, संयुक्त व एकांकी पारिवारिक संरचना से संबधित बालिकाओं, परिवार में सदस्यों की संख्या के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत बालिकाओं, सामान्य, पिछड़ी व अनुसूचित जाति से सम्बन्धित बालिकाओं, हिन्दू, मुस्लिम व सिक्ख धर्म से सम्बन्धित बालिकाओं, भाई बहनों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत बालिकायें आदि का अध्ययन किया गया है। बालिकाओं की उच्च शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं से सम्बन्धित आंकड़ों की तालिका दी गयी है –

**परिकल्पना-1:** बालिकाओं की उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में रीति-रिवाज सम्बन्धी समस्याओं पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की बालिकाओं के विचार के संदर्भ में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

#### तालिका संख्या-1

बालिकाओं की उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में रीति-रिवाज सम्बन्धी समस्याओं पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की बालिकाओं के विचार

क्र० सं०	समस्या सम्बन्धी कथन	शहरी बालिकाएँ			ग्रामीण बालिकाएँ		
		सहमत	अनिश्चित	असहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत
1	संकुचित सामाजिक दृष्टिकोण की समस्या	42.33	6.67	46.60	44.33	6.00	38.67
2	दहेज प्रथा की समस्या	78.67	2.33	19.00	76.67	2.00	21.33
3	बाल विवाह की समस्या	90.00	0.78	9.11	96.67	2.00	01.33
4	पर्दा प्रथा की समस्या	78.67	6.33	15.00	80.67	8.33	11.00
5	गृह कार्य का अत्याधिक भार	61.11	17.78	21.11	65.00	10.00	25.00
6	नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण से उत्पन्न समस्या	48.56	5.55	45.90	54.33	5.34	4.33
7	विवाह में समस्या	17.33	15.67	67.00	22.67	8.00	69.11
8	विवाह योग्य आयु निकल जाने की समस्या	45.55	7.55	46.89	47.66	10.01	32.33

तालिका संख्या-1 को देखने से पता चलता है कि संकुचित सामाजिक दृष्टिकोण का बालिका उच्च शिक्षा में बाधक मानने वाली शहरी व ग्रामीण छात्राओं का प्रतिशत क्रमशः 47.33 एवं 55.33 है जबकि दहेज प्रथा व पर्दाप्रथा को बालिका उच्च शिक्षा में बाधक मानने वाली इन्हीं बालिकाओं का प्रतिशत क्रमशः 78.67, 78.67 व 76.67 एवं 80.67 प्राप्त हुआ। गृह कार्य के अत्यधिक भार को लगभग 61.11 प्रतिशत शहरी बालिकाओं तथा 65 प्रतिशत ग्रामीण समस्या मानती हैं लगभग 48.56 प्रतिशत शहरी बालिकायें तथा 54.33 प्रतिशत ग्रामीण बालिकायें नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण को उच्च शिक्षा में बाधा मानती हैं। बाल विवाह को समस्या मानने वाली ग्रामीण बालिकाओं का प्रतिशत 96.67 है जबकि शहरी बालिकाओं का प्रतिशत 90.11 है जिसके पीछे संभवतयः यह कारण हो सकता है कि शहरी बालिकायें इस समस्या के प्रति ग्रामीण बालिकाओं से कहीं अधिक जागरूक हैं और इसी जागरूकता के कारण ही बाल विवाह की समस्या के प्रति उनका प्रत्युत्तर 90.11 फीसदी रहा है। उच्च शिक्षा के कारण विवाह में बाधा उत्पन्न होती है इस कथन के प्रति मात्र 17.33 प्रतिशत शहरी बालिकाओं तथा 22.67 ग्रामीण बालिकाओं ने ही सहमति जताई इसके पीछे अनुमानतः कारण यह है कि विवाह हेतु उच्च शिक्षित बालिकाओं की माँग कहीं अधिक बढ़ चुकी है और उच्च शिक्षा बालिका के विवाह में बाधक नहीं सहायक है। उच्च शिक्षा प्राप्त करते-करते विवाह योग्य आयु निकल जाती है। इस कथन के प्रति शहरी बालिकाओं की सहमति का प्रतिशत 45.56 वहीं 47.66 ग्रामीण बालिकायें इस कथन से सहमत थी। 46.89 प्रतिशत शहरी बालिकायें तथा 52.22 प्रतिशत ग्रामीण बालिकाओं के द्वारा इस कथन से असहमति जताई इसके पीछे सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में समाज में देर से विवाह करने के प्रति स्वीकार्यता बढ़ी है तथा कैरियर में उपलब्धि प्राप्त करने के उपरान्त ही विवाह को मान्यता प्राप्त हो रही है।

**परिकल्पना-2** बालिकाओं की उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षण संस्थाओं सम्बन्धी समस्याओं पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की बालिकाओं के विचार के संदर्भ में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

## तालिका संख्या-2

बालिकाओं की उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षण संस्थाओं सम्बन्धी समस्याओं पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की बालिकाओं के विचार

क्र० सं०	समस्या सम्बन्धी कथन	शहरी बालिकाएँ			ग्रामीण बालिकाएँ		
		सहमत	अनिश्चित	असहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत
1	महाविद्यालय की घर से अधिक दूरी	83.78	0.11	16.00	91.33	0.00	08.67
2	महाविद्यालय में बालक- बालिकाओं के साथ पढ़ने में समस्या	54.44	6.44	39.12	59.67	8.00	32.33
3	महाविद्यालयों में महिला अध्यापकों की कमी	46.11	54.76	29.11	62.00	6.00	32.00
4	पाठ्यक्रम का जीवन से सम्बन्धित न होना	18.00	24.28	24.00	22.00	10.33	61.67
5	मनपसंद विषय की अनुपलब्धता	64.00	17.78	32.00	73.33	2.34	24.33
6	महिला छात्रावासों की कमी	62.67	5.33	32.33	68.68	5.00	26.33
7	व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों की कमी	49.67	25.33	25.00	53.00	20.67	26.35
8	शिक्षकों का उपेक्षित व्यवहार	72.67	9.33	18.00	76.33	11.00	12.67
9	महाविद्यालयों में आवश्यक संसाधनों का अभाव	50.44	11.33	38.12	66.33	12.33	21.34

## १३ शोध अध्ययन का निष्कर्ष:-

उच्च शिक्षा स्तर पर रीति-रिवाज सम्बन्धी समस्याओं में बाल विवाह की समस्या, नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण से सम्बन्धित समस्या, गृहकार्य का अत्यधिक भार, विवाह में समस्या, शिक्षण संस्थाओं सम्बन्धी समस्याओं में महाविद्यालय की घर से अधिक दूरी, महाविद्यालयों में महिला प्राध्यापक की कमी, मनपसंद विषय की अनुपलब्धता, बालक-बालिकाओं के साथ पढ़ने में समस्या, आवश्यक संसाधनों का अभाव, आर्थिक समस्याओं में सीमित आय के स्रोत, छात्रावासों का बढ़ता शुल्क, यातायात पर होने वाला व्यय, पर्याप्त छात्रवृत्ति प्राप्त न होना, मनोवैज्ञानिक समस्याओं में छाँटाकशी व दुर्व्यवहार, अभिभावकों का संकुचित दृष्टिकोण, सामंजस्य स्थापित करने में समस्या, आत्मविश्वास की कमी, जनांकिकीय समस्याओं में परिवार का बड़ा आकार, परिवार में बालिकाओं की अधिक संख्या, संयुक्त पारिवारिक संरचना की समस्या पर शहरी व ग्रामीण बालिकाओं द्वारा सहमति में अन्तर था जो यह स्पष्ट करता है कि शहरी व ग्रामीण बालिकाओं का इन समस्याओं पर दृष्टिकोण भिन्न भिन्न प्राप्त हुआ। वहीं दहजे प्रथा की समस्या, पर्दा प्रथा की समस्या, विवाह योग्य आयु निकल जाने की समस्या, महिला छात्रावासों की कमी, शिक्षकों का उपेक्षित व्यवहार, जागरूकता का अभाव, पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, खराब आर्थिक स्थिति, उच्च शिक्षा पर होने वाला व्यय, बढ़ती महंगाई, महंगी पाठ्यपुस्तकें, परीक्षा में अच्छे अंक लाने का दबाव, भावात्मक सहयोग की प्राप्ति न होना, पास-पड़ से का दूषित वातावरण, रूढ़िवादी ग्रामीण परिवेश की समस्या पर शहरी व ग्रामीण बालिकाओं का इन समस्याओं पर दृष्टिकोण समान प्राप्त हुआ।

## १४ शोध अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ:-

- प्रस्तुत अध्ययन में उच्च शिक्षा स्तर पर बालिका शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं, बालिकाओं की स्वयं उच्च शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति व उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति तथा बालिका उच्च शिक्षा में सामाजिक अभिप्रेरणा के प्रभाव को जानने का प्रयास किया गया है। अध्ययन के परिणामों के आधार पर प्रस्तुत सुझाव निम्नवत हैं -
- प्रस्तुत शोध के निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि बालिकाओं की उच्च शिक्षा की एक प्रमुख समस्या समाज का संकुचित दृष्टिकोण व जागरूकता का अभाव है। इसके लिए समाज में शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देना होगा। जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए जिससे समाज का बालिका उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित हो तथा समाज में बालिका उच्च शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जा सके।
- महाविद्यालयों में आवश्यक संसाधनों की छात्राओं के लिए अलग व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे बालिकायें उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित हो सकें।
- केवल आर्थिक आधार पर ही नहीं अपितु आर्थिक आधार पर भी कमजोर वर्ग की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्ति में सहायता प्रदान करने हेतु पर्याप्त छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए जैसा कि देखने में आता है कि सामान्य व पिछड़े वर्ग की आर्थिक रूप से कमजारे विद्यार्थियों हेतु नाममात्र की धनराशि ही प्रदान की जाती है जिससे इन वर्गों की जरूरतमंद व उच्च शिक्षा को इच्छुक छात्रायें उच्च शिक्षा से महरूम रह जाती हैं।
- बालिकाओं को उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु अधिकाधिक महिला महाविद्यालयों की स्थापना की जाये। यद्यपि विभिन्न आयोगों व नीतियों के द्वारा इस सुझाव को सिरे से खारिज किया जा चुका है तथापि आज भी अधिकांश

अभिभावक अपनी बालिकाओं को सहशिक्षा प्रणाली पर आधारित महाविद्यालयों में पढ़ाने के प्रति इच्छुक नहीं रहते हैं व अगर प्रवेश करा भी दिया जाता है तो उनकी कक्षा उपस्थिति दर कम ही रहती है।

- बालिका उच्च शिक्षा को बढ़ावा देते हेतु प्रत्येक महाविद्यालय में (सहशिक्षा पर आधारित कालेजों सहित) महिला प्राध्यापकों की नियुक्ति को प्राथमिकता प्रदान की जाये।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:

1. Afroj, Z. (2005): Contribution of Different Education Commissions and national Policies on Education to the Education of Muslim Girls at the Secondary Level with Emphasis of U.P., Ph.D. Education, Rohilkhand University, Bareilly.
2. Agarwal, C.M. (2000): Factors Related with Girl Dropouts in Kumaun. *Nari "In Facets of Indian Womanhood"*, Delhi: Indian Publishers & Distributors.
3. Agarwal, J.C. & Agrawal, S.P. (1994): *Second Historical Survey of Women Education in India 1988-1994*. New Delhi: Concept Publishing Co.
4. Agrawal, K. (1997): A comparative Study of Parental Encouragement among the Different Educational Groups of Urban and Rural Adolescents, *Experiments in Education*, Vol. 24, No.10.
5. Channa, K. (2000): Treading the Hallowed Halls Women in Higher Education in India. *Economic and Political Weekly*.
6. Chernichovsky, D. (1985): Socio--Economic and Demographic aspects of School Environment and Attendance in Rural Botswana. *Economic Development and Cultural Change* 33(2), pp. 36.
7. Joshi, R. (1991): Study of the Rearing-up Practices of School-going Adolescent Girls in Relation to Their Parental Education and Some Socio Familial Factors. Ph.D. Education. Kumaun University, *Fifth Survey of Educational Research*, NCERT.
8. यूनिसेफ रिपोर्ट (1999): स्कूली शिक्षा और परिवार, प्राथमिक शिक्षा, न्यूयार्क: यूनिसेफ पब्लिकेशन, पृ. 38–41.
9. यूनिसेफ रिपोर्ट (2004): दुनिया में बच्चों की स्थिति, न्यूयार्क: यूनिसेफ प्रकाशन, भारत।
10. कुमार, एन. (2009): सुधार की अधूरी कोशिश, दैनिक जागरण, 2 अक्टूबर, बरेली।
11. मनुस्मृति 2.661 (2003): अखण्ड ज्योति, वर्ष 66, अंक –6, जून
12. शिवनाथ (1996): मंझनपुर क्षेत्र के प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों का विद्यालय छोड़ने के कारणों का अध्ययन, एम. एड. लघु शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय।
13. प्रधान, आर. (2009): ऐसे तो नहीं सुधरेगी उच्च शिक्षा, अमर उजाला, 5 नवम्बर, नई दिल्ली।
14. राजपूत, ए. (2008): स्त्री शिक्षा की आवश्यकता एवं उसके प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति, लघु शोध प्रबन्ध, गृह विज्ञान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस।
15. शर्मा, एम. (2004): भारत में महिला साक्षरता की स्थिति, अंक 30, सं. 12, कुरुक्षेत्र, पृ. 24–26. सितम्बर।
16. 'आर्य' डॉ. मोहन लाल, "शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबन्धन", आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, 2014।
17. 'आर्य' डॉ. मोहन लाल, "शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबन्धन", आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, 2016।
18. 'आर्य' डॉ. मोहन लाल, "अधिगम और शिक्षण", आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, 2017।
19. 'आर्य' डॉ. मोहन लाल, "ज्ञान और पाठ्यक्रम", आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, 2017।
20. 'आर्य' डॉ. मोहन लाल, "अधिगम के लिए आंकलन", आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, 2017।
21. 'आर्य' डॉ. मोहन लाल, "शिक्षा के ऐतिहासिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य", आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, 2017।
22. 'आर्य' डॉ. मोहन लाल, पाण्डे डॉ. महेन्द्र प्रसाद, कौर भूपेन्द्र एवं गोला राजकुमारी, "सामाजिक विज्ञान का शिक्षणशास्त्र", आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, 2017।
23. 'आर्य' डॉ. मोहन लाल, "शिक्षा के ऐतिहासिक राजनीतिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य", आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, 2018।